न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ राजेश गोयल, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 30/2019

जीसीएमएस नम्बर : 2019/00082

प्रार्थी :–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
छैलसिंह पुत्र लालसिहं जाति राजपुत निवासी चांचौडी तहसील रानी जिला पाली		1. सरंपच जरिये ग्राम पंचायत चांचौडी पंचायत समिति रानी जिला पाली 2. हुलासी बाई पत्नी श्री माधोसिंह जाति राव निवासी चांचौडी तहसील रानी जिला पाली 3. कमला पत्नी मोहनलाल जाति मेघवाल निवासी चांचौडी तहसील रानी जिला पाली

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री मांगीलाल प्रजापत।

–: निर्णय :–

दिनांक : 29.4.2024

प्रार्थी की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत चाचौडी द्वारा सकल्प सख्या 21 दिनांक 11.12.2001 की पालना में जारी विक्रय विलेख संख्या 2494 को निरस्त कराने बाबत पेश की है।

निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 बावजुद नोटिस तामिल के न्यायालय में वकालतन एवं असालतन अनुपस्थित। अप्रार्थी संख्या 02 के अधिवक्ता वक्त बहस अनुपस्थित रहने से अधिवक्ता प्रार्थी की बहस सुनी जाकर प्रकरण में गुणावगुण पर निर्णय पारित किया जायेगा।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि ग्राम चाचौडी में तलाब की पाल के पास स्थित सार्वजनिक रास्ते की भुमि पर ग्राम पंचायत चाचौडी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर जैर निगरानी पट्टा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी कर दिया। जैर निगरानी आराजी के पूर्व में तालाब की पाल, पश्चिम में आम रास्ता, उत्तर में गली एवं दक्षिण में आम रास्ता व सिवायचक पडत भुमि आयी हुयी है। जैर निगरानी आराजी भुमि आबादी भुमि नही है, रास्ते की भूमि है। जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी संख्या 02 का किसी प्रकार का कब्जा न होने के बावजुद भी जैर निगरानी आराजी का पट्टा जारी करवा कर विक्रय कर दिया जो नियम विरूद्ध है। जैर निगरानी पट्टा के लिए अप्रार्थी संख्या 02 द्वारा किसी प्रकार का आवेदन पेश नही किया, न ही किसी प्रकार का आवेदन शुल्क निरीक्षण शुल्क व नक्शा शुल्क ग्राम पंचायत में जमा करवाया तथा न ही ग्राम पंचायत ने

अति. जिला कलक्टर, पाली

ग्राम सेवक को जैर निगरानी आराजी का नक्शा बनाने का आदेश पारित किया। ग्राम पंचायत चाचौडी ने भौतिक सत्यापन हेतु बिना वार्ड पचों की कमेटी बनाये, किसी प्रकार का आपत्ति इश्तहार जारी नहीं करते हुये पंचायती राज नियमो से परे जाकर जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया जो काबिल खारिज योग्य है। ग्राम पंचायत को केवल ग्राम पंचायत की आबादी भुमि पर ही पट्टा जारी करने का अधिकार है, रास्ते की भुमि का किसी को पट्टा देने का अधिकार नही है। जैर निगरानी आराजी केचमेट एरिया की भुमि है जो तालाब की पाल के पास में स्थित है। उक्त रास्ते का उपयोग व उपभोग शमशान घाट पर आने जाने के लिये किया जाता है, जिस पर ग्राम पंचायत ने पट्टा जारी कर दिया। जिससे जैर निगरानी आराजी पर अप्रार्थी संख्या 02 अपना हक अधिकार रखते हुए उक्त आराजी को अप्रार्थी सख्या 03 को विक्रय कर दिया जिसके संबध में जैर निगरानी आराजी के पट्टे का प्रार्थी द्वारा पुलिस थाना गुडा एन्दला में एफआईआर भी दर्ज करवा रखी है। जैर निगरानी पट्टे के लिए अप्रार्थी संख्या 02 ने आवेदन किस दिनांक को पेश किया इसका कही अंकन नही है, न ही राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 146(1) के तहत पंचो द्वारा मौका निरीक्षण किया गया है एवं न ही नियम 148 की अक्षरशः पालना की गई है। जैर निगरानी पट्टा नियम 157(ख) के तहत जारी किया गया है जिसके तहत पुराने गृहो के कब्जे के आधार पर 100–200/–रूपये में पुश्तैनी पट्टा जारी किया जाता है एवं दो स्वतत्र गवाहों के बयान कलमबद्ध किये जाते है लेकिन जैर निगरानी प्रकरण में ऐसा कही दृष्टिगोचर नही होता और न ही पुश्तैनी मकान होने के प्रमाण है तथा न ही कोई स्वतत्रं गवाह के बयान लिये गये है। जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय ग्राम पंचायत ने अप्रार्थी संख्या 01 को अनुचित लाभ देने कि नियत से अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर पंचायती राज नियम 140–160 की पालना किये बगैर पट्टा जारी किया गया है जो खारिज योग्य है।

अधिवक्ता प्रार्थी की बहस पर मनन किया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो, ग्राम पंचायत के मूल रेकर्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत चाचौड़ी के संकल्प संख्या 21 दिनांक 11.12.2001 की पालना में अप्रार्थी हुलासी बाई पत्नी माधोसिंह के पक्ष में जारी पट्टा सख्या 2494 के विरूद्ध पेश की है।

जैर निगरानी के संबंध में ग्राम पंचायत से रेकर्ड चाहे जाने पर ग्राम पंचायत ने पट्टा बुक एवं बैठक कार्यवाही रजिस्टर प्रेषित करते हुये अवगत करवाया कि –

1. "पट्टा बुक नं. 50 जिसमें पट्टा क्रम सं. 2451 से 2498 तक पट्टे जारी किये हुए है।
2. बैठक कार्यवाही रजिस्टर दिनांक 1.09.2000 से 06.06.2002 तक जिसमें लगातार पृष्ठ 1 से 62 तक अंकित है।

श्रीमान द्वारा चाही गई मिसल सं ..... दिनांक ..... ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।"

जैर निगरानी पट्टा पंचायत द्वारा प्रशासन गांवो के संग अभियान के तहत भूतपूर्व सैनिक का कब्जा सुदा मकान बताते हुये पंचायत के संकल्प संख्या 21 दिनांक 11.12.2001 के अनुसरण में जारी किया गया। उक्त पट्टे में भूखण्ड के नाप में काट छॉट की गयी है।

ग्राम पंचायत चाचौडी के बैठक कार्यवाही रजिस्टर का अवलोकन करने पर पाया कि ग्राम पंचायत में पंचायत की बैठक दिनांक 05.12.2001 को हुयी जो पृष्ठ संख्या 30 पर अंकित है। उसके पश्चात आगामी बैठक दिनांक 20.12.2001 को हुयी जो पृष्ठ संख्या 31 पर

अति. जिला कलक्टर, पाली

अंकित है। रेकर्ड अनुसार दिनांक 11.12.2001 को ग्राम पंचायत की किसी भी प्रकार की बैठक नहीं हुई और न ही जैर निगरानी पट्टे पर अंकित संकल्प संख्या 21 दिनांक 11.12.2001 का बैठक कार्यवाही रजिस्टर में उल्लेख किया है। बैठक कार्यवाही रजिस्टर पर पृष्ठ अनवरत अंकित है। जिससे स्पष्ट है कि जैर निगरानी पट्टे पर अंकित संकल्प संख्या 21 दिनांक 11.12.2001 कूटरचित एवं फर्जी है। जिससे उक्त पट्टे को यथावत रखना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है।

ग्राम पंचायत से प्राप्त पत्र अनुसार जैर निगरानी पट्टे से सम्बन्धित मिसल ग्राम पंचायत कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। साथ ही पट्टे पर अंकित संकल्प संख्या 21 दिनांक 11.12.2001 का भी बैठक कार्यवाही रजिस्टर में अंकन नहीं है। जिससे जैर निगरानी पट्टे की विधिकता सिद्ध नहीं हो पाने से इसे यथावत् रखना उचित प्रतीत नहीं होता है।

उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि जैर निगरानी प्रकरण में समस्त कार्यवाही पंचायती राज नियमों के विरूद्ध एवं अप्रार्थी संख्या 02 को अनुचित लाभ पहुचानें की नियत से ग्राम पंचायत चाचौडी द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में पंचायती राज नियमों से परे जाकर पट्टा जारी किया गया। जिसका अनुचित लाभ उठाते हुए जैर निगरानी आराजी का विक्रय अप्रार्थी संख्या 03 को कर दिया गया जो न्यायोचित नहीं होने से काबिले खारिज है।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह पंचायत निगरानी याचिका स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत चाचौडी द्वारा प्रस्ताव संख्या 21 दिनांक 11.12.2001 की पालना में अप्रार्थी हुलासी बाई पत्नी माधोसिंह के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 2494 दिनांक 11.12.2001 को अपास्त किया जाता है। निर्णय की प्रति के साथ ग्राम पंचायत चाचौडी का मूल रेकर्ड लौटाया जावे।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 29/4/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ राजेश गोयल)
अति. जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर, पाली